



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, शुक्रवार 18 फरवरी 2022

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-04, अंक- 142

महत्वपूर्ण एवं खास

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी आंशिक रूप से बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान इसी तरह के अनिश्चित मौसम की भविष्यवाणी की है। श्रीनगर में तीन दिन बाद गुरुवार को न्यूनतम तापमान फिर हिमांक बिंदु से नीचे चला गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.0, पहलगांम में शून्य से 4.5 और गुलामगं में शून्य से 7.3 नीचे दर्ज किया गया। लद्दाख क्षेत्र के द्रास में रात का न्यूनतम तापमान शून्य से 16.8, लेह में शून्य से 10.9 और कारगिल में शून्य से 16.6 नीचे दर्ज किया गया। जम्मू शहर में 9.3, कटरा 7.7, बटोटे 2.4, बनिहाल माइनस 0.8 और भद्रवाह 0.7 न्यूनतम दर्ज किया गया।

जम्मू-कश्मीर में महसूस किया गया कम तीव्रता का भूकंप, दो दिन में दूसरा भूकंप आया

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में रिक्टर पैमाने पर 3.5 तीव्रता का हल्का भूकंप आया, लेकिन अब तक कहीं से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। घाटी में पिछले दो दिनों में महसूस किया गया यह दूसरा भूकंप है। आपदा प्रबंधन कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में गुरुवार तड़के 3.02 बजे रिक्टर पैमाने पर 3.5 तीव्रता का हल्का भूकंप आया। भूकंप के निर्देशांक 33.08 डिग्री उत्तर अक्षांश और 75.83 पूर्व देशांतर हैं। भूकंप का केंद्र जम्मू-कश्मीर के डोडा इलाके में था और इसकी गहराई पृथ्वी के अंदर 5 किलोमीटर थी। अधिकारियों ने बताया कि अब तक कहीं से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। बुधवार को भी सुबह 5.43 बजे रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का हल्का भूकंप आया था, और इसका केंद्र दक्षिण कश्मीर में त्राल और पहलगांम के बीच बटकट के पास था। भूकंप ने कश्मीर में अतीत में तबाही मचाई है क्योंकि भूकंपीय रूप से कश्मीर भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित है। 8 अक्टूबर 2005 को आए रिक्टर पैमाने पर 7.6 तीव्रता के भूकंप ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के दोनों ओर 80,000 से अधिक लोग मारे गए थे।

यूपी-बिहार वाले बयान को लेकर बर्द्धी सीएम चन्नी की मुश्किलें, मुकदमा हुआ दर्ज, 24 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई

मुजफ्फरपुर (आरएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी पर द्वारा यूपी-बिहार के लोगों को लेकर दिया गया बयान अब उनपर ही भारी पड़ता दिख रहा है। इस बयान असर दूर तक पड़ता नजर आ रहा है। अब सीएम चन्नी के इस बयान को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। यही नहीं, कोर्ट ने मुकदमे को न सिर्फ स्वीकार कर लिया है, बल्कि 24 फरवरी को उसकी सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर की सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने सीएम चन्नी को इस बयान को लेकर कोर्ट में घसीटा है। चन्नी के खिलाफ मामला दर्ज कवाते हुए हाशमी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकाने, अपमान करने और आहत करने का आरोप लगाया है। इस मामले में चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295.295(5), 504, 511 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसे सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। इस मामले की सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी।

हिजाब विवाद: कर्नाटक के 9 जिलों में अभी भी धारा 144, 28 फरवरी तक बढ़ी अवधि

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट ने आज की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है। उधर, मामला बढ़ता देख बेंगलुरु जिला प्रशासन ने 28 फरवरी तक कई इलाकों में धारा 144 बढ़ा दी है। जिला प्रशासन के मुताबिक, हिजाब समर्थक और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों की अनुमति नहीं होगी। जिला अधिकारियों ने बेंगलुरु में जारी निषेधाज्ञा (धारा 144) को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। जिला प्रशासन ने हिजाब समर्थक और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बाद शहर के सभी हाई स्कूलों के आसपास के इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। विरोध और पैलियों सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मातम में बदली शादी की शहनाई, हल्दी की रस्म के दौरान कुएं में जा गिरीं 22 महिलाएं-बच्चियां, 13 की मौत

कुशीनगर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार की रात हल्दी की रस्म के दौरान दिल दहलाने वाला हादसा हो गया जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 9 को बचा लिया। दरअसल जनपद के नौरंगिया थानांतर्गत नौरंगिया गांव में शादी की एक रस्म के तहत बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां एक कुएं के पास इकट्ठी हुई थीं। जानकारी के अनुसार नौरंगिया थाने के नौरंगिया गांव के स्कूल टोला में मटीकोड़ा (विवाह से पहले होने वाला कार्यक्रम) के दौरान कुएं के स्लैब पर महिलाएं और बच्चियां खड़ी थीं। इसी दौरान स्लैब टूटकर गिर गया। इससे स्लैब पर खड़ी 22 महिलाएं और बच्चियां भी कुएं में गिर गईं।



अचानक से कुएं में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चियों के गिरने से कोहराम मच गया। हर तरफ चीख-पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच कर अपने स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नेबुआ नौरंगिया थाने की पुलिस भी बचाव कार्य में जुट गई। साथ ही पुलिस की गाड़ियों से घायलों को अस्पताल भेजना शुरू किया गया। अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाई भी सामने आई।

ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से सीढ़ी जोड़कर कुछ लोगों को बचाया। इस हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक

मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। कुएं में गिरीं 9 अन्य ग्रामीणों को बचा लिया गया। सूचना पाकर मौके पर एडीजी गोरखपुर, कमिश्नर गोरखपुर, डीएम और एसपी भी पहुंचे। आलाधिकारियों ने घटना की जानकारी ली। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला अस्पताल का भी दौरा किया और मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की। कुशीनगर के कलेक्टर ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपया सहायता राशि देने की घोषणा की है।

यूपी में उच्च गुणवत्ता के नकली नोट जब्त, 2 गिरफ्तार

सहारनपुर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र से 28,000 रुपये मूल्य के 500 और 2,000 रुपये के नकली भारतीय मुद्रा नोट जब्त किए हैं। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नोटों को उच्च गुणवत्ता का बताया जा रहा है।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सहारनपुर, आकाश तोमर ने कहा कि ये सामान्य प्रिंटआउट नहीं हैं बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले नोट हैं जिन्हें आसानी से असली के रूप में पारित किया जा सकता है। अन्य जिलों में भी इसी तरह की जब्त की खबरें हैं। मैंने रायबरेली जिले में भरे समकक्ष से संपर्क किया, जहां नकली मुद्राएं भी जब्त की गईं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मुद्रा का संबंध पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो सकता है। उनके अनुसार, रविवार को रायबरेली में एक

युवक को 500 रुपये के 20 ऐसे कैंसी नोट ले जाते हुए पुलिस ने पकड़ा था। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस का दावा है कि नोटों के स्रोत के बारे में कुछ और सुराग मिले हैं, लेकिन जारी जांच का हवाला देते हुए कुछ और बताने से इनकार कर दिया। एसएसपी ने कहा कि हमने आगे की जांच के लिए कुछ नमूने बैंकों को भेजे हैं। उनके आकलन से हमें जांच में अधिक सटीकता के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव 'मेदारम जतारा' पारंपरिक हर्षोल्लास से तेलंगाना में आरंभ

नई दिल्ली (आरएनएस)। पवित्र और बहुप्रतीक्षित द्विवार्षिक उत्सव मेदारम जतारा का शुभारंभ आज हो गया, जब 'मेदारम गादे' (मंच) पर सरलअम्मा का आगमन हुआ, जिसे तेलंगाना की कोया जनजाति ने पूरा किया।



कुम्भ मेले के बाद मेदारम जतारा, देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है, जिसे तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी कोया जनजातीय चार दिनों तक मनाती है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला होने के नाते, मेदारम जतारा देवी सम्पाकका और सरलअम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव 'माघ' महीने (फरवरी) में पूर्णमासी को

को कान्नेपाल्ले से लाते हैं और मेदारम में गादे (मंच) पर स्थापित करते हैं। यह कार्यक्रम पारंपरिक संगीत (डोली/डोलक/अक्कुम/पीतल का मुंह से बजाने वाला बाजा तूता कोम्मू/सिंगी वाद्य-यंत्र, मंजीरा इत्यादि) के बीच पूरा किया जाता है। साथ में नृत्य भी होता है। तीर्थयात्री इस पूरे जुलूस में शामिल होते हैं और देवी के सामने नतमस्तक होकर अपने बच्चों, आदि के लिये आशीर्वाद मांगते हैं। उसी दिन शाम को सम्पाकका के पति पागीडिडू राजू के प्रतीक-चिह्न - पताका, आदरेलू और बंडारू को पुनूगोंदला गांव से पेनका वाड्डे लेकर आते हैं। यह गांव कोटागुंदा मंडल, महबूबाबाद में स्थित है। वहां से

छत्तीसगढ़ के महुआ की महक अब देश-विदेश तक

सात समुंदर पार यूके में 750 क्विंटल महुआ का निर्यात

महुआ फूल के लिए वर्तमान में संग्रहण दर 33 रुपए प्रति किलोग्राम

राज्य में सालाना 170 करोड़ के 5 लाख क्विंटल महुआ फूल का संग्रहण

चालू वर्ष में 2000 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ फूल के संग्रहण का लक्ष्य

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में हर वर्ष लगभग 170 करोड़ रुपए मूल्य के 05 लाख क्विंटल महुआ फूल का संग्रहण होता है। अपनी गुणवत्ता और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही नई तकनीक आदि की सुविधा से इसकी महक अब देश ही नहीं अपितु विदेश तक होने लगी है।



परंपरागत रूप से संग्रहित महुआ फूल के स्थान पर संघ द्वारा विकसित उन्नत तकनीकी से संग्रहित महुआ फूल के लिए ग्रामीणों को 33 रुपए प्रति किलोग्राम के स्थान पर 50 रुपए प्रति किलोग्राम प्राप्त होंगे। इसी तरह संग्रहकों को वनोपज संग्रहण तथा प्रसंस्करण कार्य में उन्नत तकनीकी का पालन करने के फलस्वरूप ग्राम फूड ग्रेड महुआ का वर्तमान में 116 रुपए प्रति किलोग्राम दर प्राप्त हो रही है।

यूके के एक निजी संस्थान ने 750 क्विंटल क्रय कर उक्त महुआ आधारित उत्पाद तैयार करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण अंतर्गत निविदा विक्रय हेतु जारी है, जो संघ के वेबसाइट में देखा जा सकता है।

को इसका अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। वर्तमान में संघ द्वारा स्थापित महुआ आधारित प्रसंस्करण केन्द्र जशपुर में महुआ सेनेटाइजर का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह महुआ प्रसंस्करण केन्द्र राजनांदगांव में महुआ लड्डू, जूस, कुकीज, चॉकलेट, आचार, जैम आदि तैयार कर 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के नाम पर विक्रय किया जा रहा है।

इस संबंध में प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ संजय शुक्ला ने बताया कि महुआ फूल खाद्य योग्य बनाने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रक्रिया विकसित की गई है। इसके तहत महुआ वृक्ष के चारों ओर संग्रहण नेट बांधकर महुआ फूल संग्रहण की गई है। महुआ फूल को 10 रुपए (सूखा फूल 50 रुपए प्रति किलोग्राम) प्रति किलोग्राम के दर पर राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संग्रहण किया जाएगा। इस प्रकार संग्रहित साफ-सुथरे ताजा महुआ फूल को वनधन केन्द्र के पास सोलाट टनल में सुखाया जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा बिना मिट्टी, धूल रहित खाद्य योग्य महुआ फूल संग्रहित होगी। वर्तमान में महुआ फूल का उपयोग देशी शराब बनाने के लिए किए जाते हैं। राज्य शासन द्वारा वनोपज प्रसंस्करण को अधिक महत्व दिए जाने के कारण इस पर राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से शोध प्रारंभ कराया गया है। सीएफटीआरआई मैसूर की सहायता से महुआ एनर्जी बार, महुआ गुड, आदि उत्पाद बनाने के तकनीक विकसित की गई है, इसके लिए पाटन क्षेत्र में केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई में उससे संबंधित उद्योग शीघ्र स्थापित किए जाएंगे।

फर्जी डॉक्टर बन की 17 शादियां, अब पहुंचा जेल

नई दिल्ली (आरएनएस)। ओडिशा का बिंदु प्रकाश स्वेन चर्चा का विषय बना हुआ है। 38 साल में 7 राज्यों में 14 शादी करने वाला बिंदु प्रकाश अब न्यायिक हिरासत में है। फूलाखंड के बाद पता चला है कि इसमें 17 शादियां की हैं। बताया गया है कि नकली डॉक्टर बन तीन और महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। इस शख्स का धोखाधड़ी का स्तर इतना बढ़ा रहा कि इसने अपने पास कई सारे पैसों का आँकड़ा देते हुए कुछ और बताने से इनकार कर दिया। एसएसपी ने कहा कि हमने आगे की जांच के लिए कुछ नमूने बैंकों को भेजे हैं। उनके आकलन से हमें जांच में अधिक सटीकता के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।



दो, छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी की एक महिला को धोखा दिया है। इन सभी से पहले पहचान छिपाकर शादी और फिर पैसे पेटकर निकल लिया। जांच में ये भी पता चला है कि इस शख्स ने 30 से 40 साल की उम्र वाली महिलाओं को अपना निशाना बनाया। इनमें ज्यादातर ऐसी रहीं जिनकी या तो शादी टूट चुकी थी या फिर किसी साथी का इंतजार कर रही थीं। ये सभी महिलाएं काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थीं। कोई टीचर थी, कोई वकील तो कोई डॉक्टर।

पुलिस के मुताबिक, डॉन जूआन उर्फ रमेश वैवाहिक वेबसाइटों के जरिये महिलाओं से दोस्ती करता था। उसने अब तक 17 शादी की, लेकिन आखिरी शादी में वह फंस गया। महिला को उसकी पहली शादी की भनक लग गई और 5 जुलाई 2021

को उसने भुवनेश्वर के ही महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, फिर उसकी पोल खुल गई। फिर इस साल फरवरी में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के लिए बता दें कि बिंदु प्रकाश स्वेन ने साल 1982 में सबसे पहले शादी की थी। वहीं उसकी आखिरी शादी 2021 में रही। उसका कहना है कि उसने हर महिला से शादी नहीं की है और वो सही मायनों में एक डॉक्टर है, लेकिन सभी सबूत अभी उसके खिलाफ हैं। इस सब के अलावा ओडिशा के ही एक छात्र ने उस पर आरोप लगा दिया है कि बिंदु द्वारा उसे 18 लाख का चूना लगाया गया है। ये चूना ये कहकर लगाया गया कि छात्र को मेडिकल कॉलेज में सीट दिलवा दी जाएगी।

हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

नई दिल्ली (आरएनएस)। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। एससी ने हाई कोर्ट से कहा है कि एक महीने के अंदर इस मामले में निर्णय लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिया जाय और इस दौरान रोजगार दाताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाय। हरियाणा सरकार ने निजी रोजगार में स्थानीय लोगों को 50 फीसदी आरक्षण करने का फैसला लिया था। इसके बाद तीन फरवरी को हाई कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी थी।

फरीदाबाद इंडस्ट्रियल असोसिएशन के साथ अन्य ने हाई कोर्ट को बताया था कि उनके यहां कर्मचारियों का चयन योग्यता के अनुसार किया जाता है। हाई कोर्ट से कहा गया कि अगर कंपनियां अपने मनपसंद कर्मचारी नहीं चुन पाएंगी तो उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि अगर सरकार का यह फैसला लागू होता है तो रोजगार को लेकर अराजकता फैल जाएगी और योग्य लोग वंचित रह जाएंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी।